स्थानीय और बाहरी केन्द्रों के चेकों का संग्रहण

चेक संग्रहण नीति

नीति निम्न बिन्दुओं पर आधारित है :-

- स्थानीय स्तर पर प्रस्तुत चेकों तथा अन्य लिखतों की उगाही।
- चेकों/लिखतों की उगाही हेतु समय सीमा मानदण्ड।
- निर्धारित समयावधि में गैर स्थानीय चेकों/लिखतों (Outstation Cheque) की उगाही में विफलता पर विलम्ब अवधि पर ब्याज भुगतान की नीति।
- उगाही हेतु प्रस्तुत चेकों/लिखतों के मार्ग/डाक में खो जाने पर ग्राहक को क्षतिपूर्ति।

उगाही की व्यवस्था

ग्राहकों द्वारा उगाही हेतु प्रस्तुत चेकों/लिखतों को शाखाएं शाखा कारोबार अवधि के दौरान स्वीकार करेंगी।

स्थानीय स्तर पर देय प्रस्तुत चेकों/लिखतों की उगाही

ऐसे चेक/लिखतें, जिनकी उगाही स्थानीय स्तर पर होनी हो, केन्द्र पर लागू समाशोधन व्यवस्था के अन्तर्गत उगाही हेतु जमा की जायेगी। ग्राहक द्वारा निर्धारित समयावधि (Cut-off time) के दौरान शाखा काउन्टर अथवा शाखा परिसर पर उपलब्ध "उगाही पेटी" में जमा की गयी चेकें समाशोधन हेतु उसी दिन प्रस्तुत की जायेंगी। उगाही होने की दशा में चेक राशि सम्बन्धित ग्राहक के खाते में समाशोधन निपटान के दिवस को जमा करेंगी। परन्तु खाते में जमा की गयी राशि की निकासी की अनुमति समाशोधन गृह द्वारा चेक वापसी के अधीनहोगी। निर्धारित समयावधि तक रू0 1 लाख व उससे अधिक के High Value के समाशोधन चेकों की राशि ग्राहक के खाते में उसी दिन जमा की जायेगी बशर्ते ऐसे केन्द्र High Value समाशोधन के तहत आते हों।

"ग्राहकों द्वारा निर्धारित समयावधि (Cut-off time) तक शाखा में चेक जमा करने पर चेक उसी दिवस को समाशोधन हेतु प्रस्तुत किये जायेगें" इस आशय की सूचना शाखाएं शाखा परिसर में सूचनापट पर प्रमुख दर्शनीय स्थान पर प्रदर्शित कर उसका व्यापक प्रचार करेंगी। इसके साथ ही High Value समाशोधन (रू0 1 लाख व उससे अधिक के चेक) की सुविधा एवं भुगतान सम्बन्धी सूचना भी प्रदर्शित करेंगी।

शाखाएं ऐसे केन्द्रों, जहां समाशोधन गृह की सुविधा नहीं है, स्थानीय चेकों को अदाकर्ता बैंक को काउन्टर पर उगाही हेतु प्रस्तुत करेंगी तथा शीघ्र उगाही हेतु प्रयास करेंगी।

ऐसे केन्द्रों, जहां पर समाशोधन की सुविधा है तथा मुख्य शाखा के अतिरिक्त बैंक की अन्य शाखाएं भी हैं, स्थानीय चेकों को समाशोधन हेतु शाखाएं मुख्य शाखा अथवा समाशोधन हेतु नामित शाखा को प्रस्तुत करेंगी।

गैर स्थानीय चेक (Outstation Cheques)

गैर स्थानीय चेक और अन्य लिखतें उगाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित किये जायेंगे :-

- जहां हमारे बैंक की एक शाखा है, उसी शाखा को।
- जहां हमारे बैंक की एक शाखा से अधिक शाखाएं हैं, मुख्य शाखा अथवा नामित शाखा को।
- यदि लिखतें हमारी शाखा पर आहरित हों तो अदाकर्ता शाखा को।
- निश्चित केन्द्रों में सममूल्य पर देय चेकों को और लिखतों को उन केन्द्रों पर हमारी निकटतम शाखा को।

- ✦ जहां अदाकर्ता बैंक की स्थानीय शाखा हो, उगाही के लिए प्राप्त चेक सम्बन्धित बैंक की उगाही व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उस शाखा या सीधे अदाकर्ता शाखा को भेजें ।
- ✦ यदि अदाकर्ता शाखा के केन्द्र पर हमारी कोई शाखा नहीं है, खातेदार के लिखित अनुरोध पर चेक/लिखत सीधे बैंक की अदाकर्ता शाखा को।

<u>स्थानीय/गैर स्थानीय चेक/लिखतों की उगाही हेतु समय सीमा</u>

समाशोधन के माध्यम से उगाही हेतु प्रस्तुत स्थानीय चेक समाशोधन निपटान दिवस को ग्राहक के खाते में जमा कर दी जायेगी परन्तु भुगतान की अनुमति समाशोधन में चेक वापसी नियम के अनुसार होगी।

ऐसे चेक/लिखत, जो High Value समाशोधन (रू0 1 लाख व उससे अधिक) में उगाही हेतु प्रस्तुत की गयी हो, उगाही होने पर उसी दिन सम्बन्धित ग्राहक के खाते में जमा किये जायेगे बशर्ते केन्द्र पर High Value Clearing सुविधा उपलब्ध हो।

विभिन्न केन्द्रों पर उगाही हेतु प्रस्तुत चेक तथा लिखतों की उगाही पर निम्न समय सीमा लागू होगी :-

प्रमुख महानगरीय केन्द्रों नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता व चेन्नई पर देय चेकों का भुगतान	अधिकतम –7– दिनों तक
महानगरीय केन्द्रों तथा राज्य की राजधानियों पर देय चेकों/लिखतों (उत्तर पूर्वी राज्यो एवं सिक्किम को छोड़कर) का भुगतान	अधिकतम –10– दिनों तक
अन्य केन्द्रों पर देय चेक	अधिकतम –14– दिनों तक

अनादृत **(Dishonour)** चेक/लिखत ग्राहक को 24 घन्टे के अन्दर वापस/डाक द्वारा प्रेषित कर दिये जायेगे।

<u>चेकों की उगाही में विलम्ब के मामले में विलम्ब अवधि पर ब्याज</u>

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और सिक्किम को छोड़कर देश के अन्य केन्द्रों पर उगाही हेतु प्रस्तुत चेकों की उगाही में उक्त निर्धारित समयावधि से विलम्ब होने पर बैंक द्वारा ग्राहक को विलम्ब अवधि का ब्याज देय होगा। अपने बैंक की शाखाओं अथवा अन्य बैंकों की शाखाओं पर देय चेकों में समान नियम लागू होंगे। विलम्ब अवधि हेतु निम्नानुसार ब्याज दिया जायेगा :-

- ✦ बाहरी चेकों के मामलों में बचत खातों पर लागू ब्याज दर से, यदि विलम्ब 7/10/14 दिनों (जैसा मामला हो) से अधिक हुआ हो, ब्याज दिया जायेगा।
- ✦ जहां विलम्ब 14 दिनों से अधिक परन्तु 90 दिनों तक हुआ हो, इसी अवधि हेतु सावधि जमाओं पर लागू ब्याज दर से ब्याज दिया जायेगा।
- ✦ जहां असाधारण विलम्ब अर्थात् विलम्ब 90 दिनों से अधिक का हुआ हो, उसी अवधि हेतु सावधि जमाओं पर लागू ब्याज दर से 2% अधिक ब्याज दर से विलम्ब अवधि का ब्याज दिया जायेगा।
- ✦ यदि चेक की राशि ग्राहक के ऋण/ओवरड्राफ्ट खाते में जमा की जानी हो तो ऐसी स्थिति में विलम्ब की अवधि हेतु ऋण/ओवरड्यू खातों में देय ब्याज दर से ब्याज दिया जायेगा। असाधारण विलम्ब के मामले में ऋण/ओवरड्यू खाते में देय ब्याज दर से 2% अधिक ब्याज दिया जायेगा।

चेक तथा लिखत के मार्ग/डाक में/समाशोधन प्रकिया/भुगतानकर्ता शाखा द्वारा खोने के मामलों में

ऐसे मामलों में, जहां संग्रहण हेतु स्वीकार की गयी चेक/लिखत मार्ग में अथवा समाशोधन प्रक्रिया या अदाकर्ता शाखा पर खो गयी हो, शाखाएं इस आशय की सूचना सम्बन्धित खाता धारक को तत्काल देंगी ताकि खाताधारक सम्बन्धित चेक के आहर्ता को ऐसी चेक के भुगतान रोकने हेतु सूचित कर सके। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि सम्बन्धित खाताधारक द्वारा खो गयी चेक के सापेक्ष यदि कोई अन्य चेक जारी की गयी हो तो अनादरण की स्थिति से बचा जा सके।

बैंक, ग्राहक को आहर्ता से डुप्लीकेट चेक प्राप्त करने हेतु हरसम्भव सहयोग प्रदान करेगा तथा चेक खोने से हुए नुकसान की निम्नानुसार क्षतिपूर्ति करेगा :-

- यदि खो गयी चेक की सूचना खाताधारक को चेक संग्रहण हेतु निर्धारित अवधि 7/10/14 दिन (जैसा भी मामला हो) के पश्चात दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा उपरोक्त वर्णित दरों से निर्धारित अवधि को छोड़कर विलम्ब अवधि हेतु ब्याज दिया जायेगा।
- उपरोक्त के अतिरिक्त डुप्लीकेट चेक प्राप्त करने/उगाही में लगने वाले सम्भावित समय के दृष्टिगत् 15 दिनों हेतु चेक राशि पर बचत खातों पर लागू ब्याज दर से ब्याज दिया जायेगा।

बैंक ग्राहक द्वारा किये गये निम्न प्रभार की क्षतिपूर्ति भी करेगा :-

- बैंक/संस्था से डुप्लीकेट चेक प्राप्त करने पर लगने वाला प्रभार।
- खोये हुए चेक हेतु खाते में Stop Payment कराने पर लगने वाला प्रभार।
- यदि खो गया चेक भुनाये गये मामलों से सम्बन्धित हो, तो ऐसे मामलों में बैंक 15 दिन की अवधि का ब्याज वसूल नहीं करेगा। यह अवधि उधारकर्ता को आहर्ता से दूसरी चेक प्राप्त करने हेतु पर्याप्त होगी। यदि 15 दिन की अवधि बीत जाने के बाद भी उधारकर्ता खाते को बन्द करने में विफल रहता है तो संविदा दर के अनुसार खाते के पूर्ण अदायगी तिथि तक ब्याज की वसूली की जायेगी।